इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2023—भाद्र 17, शक 1945

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. 1140-डूडा-2023.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. यू.डी.एच.-12-0006-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2023 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (ख) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए कटनी जिले की ढीमरखेड़ा ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सिम्मिलत करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को उमिरयापान नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सिम्मिलत क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपित्त रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित्त / सुझाव, कलेक्टर, जिला कटनी को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार की आपित मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

नगर परिषद्, उमरियापान गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	नाम (5)	(6)	(7)
1	कटनी	ढीमरखेडा	उमरियापान	उमरियापान, पचपेढी, ब्रम्हनी, बसौदा	उमरियापान, मुडिया, पुरवा, पचपेढी, पकरिया, बम्हनी, कुदवारी, मडेरा, करौदी, बनहरा, बनहरी, बरौदा, धोरेसर.	3400 हेक्टेयर (अनुमानित)
				योग 04	12	3400

अवि प्रसाद, कलेक्टर

Katni, the 1st September 2023

No. 1140-DUDA-2023.—According to the approval received from the order number UDH-12-0006-2023-XVIII-3, Bhopal, dated 28th August 2023 of Madhya Pradesh, Department of Urban Development and Housing, in exercise of the powers conferred under section 5 (1) (b) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Dhimadkheda block of Katni District is initially notified for the formation of Umariyapaan Municipal Council. If the local authority having jurisdiction of the included areas shown in the schedule or any person residing in it has any objection regarding any issue contained therein, then within 07 days from the date of publication of this notification in the Gazette his written objection / suggestion should be submitted to the District Collector, Katni, after the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the State Government:—

Revenue villages to be included in the formation of Nagar Parishad Umariyapaan:-

SCHEDULE

No.	District	Block	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat include for the informatio of urban areas		Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Katni	Dhimadkheda	Umariyapaan	Umariyapaan, Pachpedi, Bamhani, Baroda.	Umariyapaan, Pachpedi, Bamhani, Baroda, Mudiya Purva, Pakariya, Banhara, Banhari, Dhoresar, Kudwari, Madera, Karodi.	3400 Hec (approx)
1911			Total	04	12	3400

AVI PRASAD, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (DUDA), जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 31 अगस्त 2023

क्र. 169-डूडा-2023.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. यू.डी.एच.-12-0006-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2023 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सीधी जिले के सीधी व्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को सेमिरिया नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपित रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित / सुझाव, कलेक्टर, जिला सीधी को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार की आपित /

सुझाव मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :--

नगर परिषद्, सेमरिया गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

豖.	जिले का	विकासखण्ड	विघटित ग्राम	नगरीय क्षेत्र में	ग्राम पंचायत के अंतर्गत	क्षेत्रफल
	नाम	का नाम	पंचायत का	गठन हेतु सम्मिलित	आने वाले राजस्व	(हेक्टेयर में)
			नाम	ग्राम पंचायत का	ग्राम	
				नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सीधी	सीधी	सेमरिया	सेमरिया	सेमरिया	83.800
					भमरहा	42.970
			रामगढ नं. 1	रामगढ नं. 1	रामगढ	85.920
					मनकीसर	89.370
					कोठार	
					झोखरवार	120.070
					देवछा	40.150
			चूल्ही	चूल्ही	चूल्ही	125.984
			झगरहा	झगरहा	झगरहा	140.258
					पुरुषोत्तमगढ्	82.090
			बढ़ौरा	बढ़ौरा	बढ़ौरा	505.238
			कुबरी	कुबरी	कुबरी	659.482
			ओवरहा	ओवरहा	ओवरहा	238.488
					हस्तिनापुर	290.290
			देवगढ़	देवगढ़	देवगढ़	300.213
				 कुल 08	14	2804.323

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय, कलेक्टर

Sidhi, the 31st August 2023

No. 169-DUDA-2023.—According to the approval received from the order number UDH-12-0006-2023-XVIII-3, Bhopal, dated 28th August 2023 of the Madhya Pradesh, Urban Development and Housing, Department Section 5 (1) (a) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961), in exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the Local area shown in the following schedule within the limits of Sidhi block of Sidhi district is initially notified for the formation of Semariya Nagar Parishad. The Local Authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained there in may within 07 days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette. Give its written objection/

suggestion to the District Collector Sidhi. After the time period any objection will not be valid. Which will be condidered by the State Government.

Revenue villages to be included in the formation of Nagar Parishad Semariya:-

SCHEDULE

No.	District	Block	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban areas	Included Villages	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sidhi	Sìdhi	Semariya	Semariya	Semariya	83.800
			•	•	Bhamarha	42.970
			Ramgadh	Ramgadh	Ramgadh	85.920
			No. I	No. 1		
					Mankeesar	89.370
					Kothar	
					Jhokharwar	120.07
					Deochha	40.150
			Chulhi	Chulhi	Chulhi	125.98
			Jhagarha	Jhagarha	Jhagarha	140.25
			C	C,	Purshottamgadh	82.090
			Badhoura	Badhoura	Badhoura	505.23
			Kubri	Kubri	Kubri	659.48
			Obarha	Obarha	Obarha	238.48
					Hastinapur	290.290
			Deogadh	Deogadh	Deogadh	300.213
			Total	08	14	2804.32

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SAKET MALVIYA, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 4 सितम्बर 2023

क्र. 377-डूडा-2023.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र. UDH-12-006-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2023 से प्राप्त निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1) (ख) के अधीन शिक्तियों को प्रयोग करते हरदा जिले की रहटगाँव अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सिम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को रहटगाँव नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सिम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपित्त रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 (सात) दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित्त / सुझाव प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार

की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :--

नगर परिषद्, रहटगाँव गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में
				नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हरदा	टिमरनी	रहटगॉव	रहटगाँव	रहटगॉव	1020.606
2			नजरपुरा उर्फ	नजरपुरा उर्फ	नजरपुरा उर्फ मोहनपुर	209.021
			मोहनपुर	मोहनपुर	उमरधा	528.695
3			फुलडी	फुलडी	फुलडी	699.010
					धनगाव	401.472
					डोकरतलाई (विरान ग्राम)	130.670
4			आमसागर	आमसागर	आमसागर वन ग्राम होने	
					से शामिल नहीं किया.	
					धनपाडा	334.755
					नरानपुरा (विरान ग्राम)	387.779
5			कासरनी	कासरनी	कासरनी	635.946
					सिंगनपुर	279.702
					जूनापानी (विरान ग्राम)	178.829
6			दूधकच्छ कला	। दूधकच्छ कला	दूधकच्छ कला	884.458
7			छीरपुरा	छीरपुरा	छीरपुरा	658.591
				-	खात्माखेडा	190.233
				 कुल 7	14	6539.794

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषि गर्ग, कलेक्टर

Harda, the 1st September 2023

No. 377-DUDA-2023.—According to the approval and direction received from the order number UDH-12-0062-2023-XVIII-3, Bhopal, dated 28th August 2023 of the Madhya Pradesh Urban Development and Housing Department, Under the Section 5 (1) (b) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961. In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including to the local area shown in the following schedule within the limits of Timarni block of the Harda district is initially notified for the formation of Rahatgaon Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained there-in, may within 07 (Seven) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection / suggestion to the District Collector, Harda. After the time period, any objection

will not be valid, which will be considered by the State Government :-

Revenue villages to be included in the formation of Municipal Council Rahatgaon

SCHEDULE

No.	Name of District	Name of Block	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban area	, and the second	urisdiction Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Harda	Timarni	Rahatgaon	Rahatgaon	Rahatgaon	1020.606
2			Nazarpura urf	<u> </u>	Nazarpura urf	209.021
			Mohanpur	Mohanpur	Mohanpur	207.021
					Umardha	528.695
3			Phuldi	Phuldi	Phuldi	699.010
					Dhangaon	401.472
					Dokartalai	130.670
					(Viran Gram)	
4			Aamsagar	Aamsagar	Not included because	
				C	of forest village.	
					Dhanpada	334.755
					Naranpura (Viran	387.779
					Gram)	
5			Kasarni	Kasarni	Kasarni	635.946
					Singanpur	279.702
					Junapani (Viran Gram	178.829
6			Dudhkutch	Dudhkutch	Dudhkutch	884.458
			Kalan	Kalan	Kalan	
7			Chhirpura	Chhirpura	Chhirpura	658.591
			_	•	Khatamakheda	190.233
			Total	7	14	6539.794

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RISHI GARG, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

मंदसौर, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. 534-डूडा-2023.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. UDH-12-0006-2023-अटारह-3, भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2023 में दिए गए निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (क्र) के अधीन प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मंदसौर जिले की सीतामऊ ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गए स्थानीय क्षेत्र को सिम्मिलत करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को नाहरगढ़ नगर परिषद् गटन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सिम्मिलत क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से

07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव, कलेक्टर, जिला मंदसौर को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

नगर परिषद्, नाहरगढ़ गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	नाम (5)	(6)	(7)
1	मंदसौर	सीतामऊ	नाहरगढ़	नाहरगढ्	 नाहरगढ़ नई आबादी आबाखेडी 	1618 111
				 कुल	2	1729

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर.

Mandsaur, the 1st September 2023

No. 534-DUDA-2023.—As per the instructions given in the letter number/No. 12/0006/2023/XVIII-3, Bhopal, dated 28th August 2023 of the Principal Secretary, Madhya Pradesh Government, Ministry of Urban Development and Housing, Department Section 5 (1) (a) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961), in exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Sitamau block of Mandsaur district is initially notified for the formation of Nahargarh Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein may, within 07 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette give its written objection/suggestion to the District Collector Mandsaur, after this period, any revenue villages to be included in the formation of Municipal Council, Nahargarh:—

Revenue villages to be included in the formation of Municipal Council, Nahargarh SCHEDULE

No.	District	Block	Name of the dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban area	Included Villages	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Mandsaur	Sitamau	Nahargarh	Nahargarh	t. Nahargarh Nai Abadi	1618
					2. Abakhedi	111
				Total	2	1729

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, DILEEP KUMAR YADAV, Collector.

मंदसौर, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. 535-ड्डा-2023.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. UDH-12-0006-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2023 में दिए गए निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (क) के अधीन प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मंदसौर जिले की भानपुरा ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गए स्थानीय क्षेत्र को सिम्मिलत करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को गांधी सागर नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सिम्मिलत क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपित्त रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित / सुझाव, कलेक्टर, जिला मंदसौर को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार की आपित मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

नगर परिषद्, गांधी सागर गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	नाम (5)	(6)	(7)
1	मंदसौर	भानपुरा	गांधी सागर	गांधी सागर	गांधी सागर नं. 03	229.86
		-			गांधी सागर नं. 07	•
					गांधी सागर नं. 08	
				 कुल योग	3	229.86

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर

Mandsaur, the 1st September 2023

No. 535-DUDA-2023.—As per the instructions given in the letter number/No. 12/0006/2023/XVIII-3, Bhopal, dated 28th August 2023 of the Principal Secretary, Madhya Pradesh Government, Ministry of Urban Development and Housing, Department Section 5 (1) (a) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961), in exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Bhanpura block of Mandsaur district is initially notified for the formation of Gandhi Sagar Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained there in, may, within 07 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection/suggestion to the District Collector Mandsaur, after this

period, any revenue villages to be included in the formation of Municipal Council, Gandhisagar.

Revenue villages to be included in the formation of Municipal Council, Gandhisagar SCHEDULE

No.	District	Block	Name of the dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban area	Included Villages	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mandsaur	Bhanpura	Gandhisagar	Gandhisagar	 Gandhisagar no. 03 Gandhisagar no. 07 Gandhisagar no. 08 	
				Total	3	229.86

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DILEEP KUMAR YADAV, Collector.

मंदसौर, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. 536-ड्डा-2023.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. UDH-12-0006-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2023 में दिए गए निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (क) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए मंदसौर जिले की गरोठ ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गए स्थानीय क्षेत्र को सिम्मिलत करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को बोलिया नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सिम्मिलत क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपित्त रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित / सुझाव, कलेक्टर, जिला मंदसौर को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार की आपित्त मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा :—

नगर परिषद्, बोलिया गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	नाम (5)	(6)	(7)
1	मंदसौर	गरोठ	बोलिया	बोलिया	बोलिया	1263
****************				कुल	1	1263

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर

Mandsaur, the 1st September 2023

No. 536-DUDA-2023.—As per the instructions given in the letter number/No. 12/0006/2023/XVIII-3. Bhopal, dated 28th August 2023 of the Principal Secretary, Madhya Pradesh Government, Ministry of Urban Development and Housing, Department Section 5 (1) (a) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961), in exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Garoth block of Mandsaur district is initially notified for the formation of Boliya Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained there in may within 07 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette give its written objection/suggestion to the District Collector Mandsaur, after this period, any revenue villages to be included in the formation of Municipal Council, Boliya.

Revenue villages to be included in the formation of Municipal Council, Boliya

SCHEDULE

No.	District	Block	Name of the dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban areas	Included Villages	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mandsaur	Garoth	Boliya	Boliya	Boliya	1263
				Total	I	1263

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DILEEP KUMAR YADAV, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण), जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. 208-डी.यू.डी.ए.-2023.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. U.D.H-12-0006-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2023 द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (क) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए सतना जिले की नागौद ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सिम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को सिंहपुर नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शात सिम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपित्त रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित्त / सुझाव, कलेक्टर, जिला सतना को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार की आपित्त मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

नगर परिषद्, सिंहपुर गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनसची

新.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	नाम (5)	(6)	(7)
1 2	सतना	नागौद	सिंहपुर	सिंहपुर	सिंहपुर भैहाई	1036.93 950.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3					झिरिया	
4					पुरूषोत्तम	
5					जमुनिहहाई	
6				बेलगहना	बेलगहना	603.47
7					पुरवा	
				योग 03	07	2590.54

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर

Satna, the 1st September 2023

No. 208-DUDA-2023.—According to the approval received from the order number UDH-12-0006-2023-XVIII-3, Bhopal, dated 28th August 2023 of the Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Section 5 (1) (a) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961). In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Nagod block of Satna district is initially notified for the formation of Singhpur Nagar Parishad. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein, may, within 07 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection / suggestion to the District Collector, Satna. After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the State Government:—

Revenue Villages to be included in the formation of Nagar Parishad Singhpur

SCHEDULE

No.	District	Block	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat include for the formation of urban area	ed	ages	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1.1	(7)
1	Satna	Nagod	Singhpur	Singhpur	Singhpur		1036.93
2				Bhaihai	Bhaihai		950.14
3					Jhiriya		
4					Purushottampur		
5					Jamunihai		
6				Belgahna	Belgahna		603.47
7					Purva		
			Total	03	07		2590.54

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG VARMA, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. 173-ड्डा-2023.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, के पत्र क्र. U D.H-12-0006-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2023 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सिंगरौली जिले की चितरंगी व्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सिम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को चितरंगी नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सिम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपित्त रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित / सुझाव, कलेक्टर, जिला सिंगरौली को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार की आपित्त मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

नगर परिषद्, चितरंगी गठन में सिम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सिंगरौली	चितरंगी	चितरंगी	चितरंगी	चितरंगी, लालमाटी, सजहवा उर्फ बन्धा, बैरीटोला खुर्द	1026.22
2				् बडकुड	बडकुड, पिपरवान, नौडिहवा	1293.68
3				बगदराकला	बगदराकला, बगदराखुर्द, दुअरा, कोलौहा	766.51
4				पोड़ी-2	पोड़ी, तेन्दुहा	351.04
5				बोदाखुंटा	बोदाखुंटा, झगरौहा, बैरीटोला कला	877.37
6				बुढ़ाडोल	नौगई	518.61
7				खटाई	खटाई, चिकनी, नौढ़िया	877.25
8				खम्हनिया	गेरूई	75.53
				योग 08	21	5,786.21

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार परमार, कलेक्टर

Singrauli, the 1st September 2023

No. 173-DUDA-2023.—According to the approval received from the order number UDH-12-0006-2023-XVIII-3, Bhopal, dated 28th August 2023 of the Madhya Pradesh Urban Development and Housing Department, Section 5 (1) (a) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961). In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Chitrangi block of Singrauli district is initially notified for the formation of Chitrangi Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein, may, within 07 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection/suggestion to the District Collector, Singrauli. After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the State Government:—

Revenue village to be included in the formation of Municipal Council, Chitrangi

SCHEDULE

No.	District	Block	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat include for the formation		Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	of urban areas (5)	(6)	(7)
1	Singrauli	Chitrangi	Chitrangi	Chitrangi	Chitrangi Lalmati, Sajahava (Bandha), Bairitola Khurd	1026.22
2				Badakud	Badakud Piparwan, Naudihawa	1293.68
3				Bagadarakala	Bagadarakala, Bagadara Khurd, Duara, Kolauha	766.51
4				Podi-2	Podi, Tenduha	351.04
5				Bodakhunta	Bodakhunta, Jagarauha, Bairitola Kala	877.37
6				Budhadol	Naugai	518.61
7				Khatai	Khatai, Chikni, Naudhiya	877.25
8				Khamhaniya	Gerui	75.53
			Total	8	21	5,786.21

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ARUN KUMAR PARMAR, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. 319-डूडा-2023.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. 3509-1486438-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2023 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5, 5-क एवं सहपठित धारा 6 के अधीन प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शहडोल जिले की ब्यौहारी नगर परिषद् की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ग्राम की सीमाओं को सिम्मिलत करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को नगरपालिका परिषद, ब्यौहारी गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सिम्मिलत क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपित्त रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित्त / सुझाव, कलेक्टर, जिला शहडोल को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार की आपित्त मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा:—

नगरपालिका परिषद् ब्यौहारी गठन में सिम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	नवीन नगरीय निकाय का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	नाम (5)	(6)	(7)
1	शहडोल	ब्यौहारी	नगरपालिका परिषद,	मैरटोला	देवगांव	491.6
2			ब्यौहारी	मैरटोला -	मै रटोला	172.95
3				बरहाटोला	बिजही	111.920
4				बरहाटोला	बिजहा	669.235
5				बरहाटोला	बरहाटोला	184.188
6				सांखी	सांखी	618.98
7				खांमडांड	खांमडांड	939.501
8				खांमडांड	छिरहा	134.975
9				कल्हारी	सूखा	346.395
10				नौढ़िया	खड़हुली	1350.736
11				नौढ़िया	वेड्रा	713.385
				योग 06	11	5733.865

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैद्य, कलेक्टर,

Shahdol, the 1st September 2023

No. 319-DUDA-2023.—According to the approval received from the Madhya Pradesh Government, Ministry of Urban Development and Housing. Department, Bhopal letter number 3509-1486438-2023-XVIII-3, Bhopal, dated 25th August 2023, under Section 5, 5-A and co-read Section 6 of the Madhya Pradesh Municipal Act, 1961. In exercise of the powers conferred under this Act, within the limits of Beohari Nagar Parishad of Shahdol district, including the boundaries of the villages coming under the Gram Panchayats shown in the following schedule, the transitional area has been initially notified for the formation of Nagar Palika Parishad, Beohari. If the local authority having jurisdiction of the included areas shown in the schedule or any person residing in it has any objection regarding any issue contained therein, then within 07 days from the date of publication of this notification in the Gazette, give its written objection / suggestion the District Collector Shahdol. After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the State Government:—

Revenue villages to be included in the formation of Nagar Palika Parishad, Beohari

SCHEDULE

S. No.	District	Block	Name of New ULB	Name of Gra Panchayat inclu- for the format of urban area	uded ion	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 2 3	Shahdol	Beohari	Nagar Palika Parishad, Beohari	Mairtola Mairtola Barhatola	Devgaon Mairtola Bijahi	491.6 172.95 111.920
4				Barhatola	Bijaha	669.235
5				Barhatola	Barhatola	184.188
6				Sankhi	Sankhi	618.98
7				Khamdand	Khamdand	939.501
8				Khamdand	Chhirha	134.975
9				Kalhari	Sukha	346.395
10				Naudhiya	Khadhuli	1350.736
11				Naudhiya	Bedara	713.385
			Total	06	11	5733.865

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA VAIDYA, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास अभिकरण), जिला गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. डूडा-2023-24-371.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र. U.D H-12-0006-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2023 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनयम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (ख) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए गुना जिले की गुना ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सिम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को म्याना नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सिम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपित्त रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित्त / सुझाव, कलेक्टर, जिला गुना को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार की आपित्त मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

नगर परिषद्, म्याना गठन में सिम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	नाम (5)	(6)	(7)
1				म्याना	म्याना	1841
2					टकनेरा	1751
3				टकनेरा	कालापहाड्	291
4					गढ़ला	712
5				खजूरी	खजूरी	757
6	गुना	गुना	म्याना	पदमखेड़ी	पदमखेड़ी	463
7					रोझई	188
8					नसीरा	465
9					सेंधुआ	505
10				तिनस्याई	तिनस्याई	638
11					मोरखेड़ी	209
12				लहरघाट	खोंकर	760
				 कुल योग 06	12	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण राठी, कलेक्टर

Guna, the 6th September 2023

No. DUDA-2023-24-371.—According to the approval received from the order number UDH-12-0006-2023-XVIII-3. Bhopal, dated 28th August 2023 of the Madhya Pradesh Urban Development and Housing, Department, Section 5 (1) (b) of the Madhya Pradesh Municipality Act. 1961 (No. 37 of 1961). In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Guna block of Guna district is initially notified for the formation of Mayana City Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein, may, within 07 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection / suggestion to the District Collector, Guna, After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the State Government:—

Revenue Villages to be included in the formation of City Council, Mayana

SCHEDULE

No.	District	Block	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of Gran Panchayat include for the information of urban area	led ion	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				Mayana	Mayana	1841
2				•	Taknera	1751
3				Taknera	Kalapahad	291
4					Gadla	712
5				Khajuri	Khajuri	757
6	Guna	Guna	Mayana	Padmankhedi	Padmankhedi	463
7					Richai	188
8					Nasira	465
9					Sendhua	505
10				Tinsyai	Tinsyai	638
11					Morkhedi	209
12				Laharghat	Khonkar	760
			Total	06	12	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, TARUN RATHI, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. डूडा-2023-781.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्र. 3505-1895-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2023 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (क) के अधीन प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शिवपुरी जिले की करैरा ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सिम्मिलत करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को दिनारा नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सिम्मिलत क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपित रखता है, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपित / सुझाव, कलेक्टर, जिला शिवपुरी को प्रस्तुत कर सकता है. समयाविध उपरांत किसी प्रकार की आपित मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

नगर परिषद्, दिनारा गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	नाम (5)	(6)	(7)
1					दिनारा	801
2			दबरा दिनारा	दबरा दिनारा	दबरा दिनारा	407
3			सहरहा	सहरया	बदरखा	180
					गोरा	246
4			चंदावरा	चंदावरा	चंदावरा	610
5	शिवपुरी	करैरा	अलगी	अलगी	अलगी	528
6			आवास	आवास	आवास	595
					सेवडीकलां	336
					सेवडीखुर्द	245
7			सेमरा	सेमरा	जरगवां अब्बल	748
8			दावरदेही	दावरदेही	दावरदेही	205
					अम्बारी	413

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर.

Shivpuri, the 6th September 2023

No. DUDA-2023-781.—According to the approval received from the letter number 3505-1895-2023-XVIII-3-Bhopal, dated 25th August 2023 of the Madhya Pradesh Urban Development and Housing Department section 5 (1) (a) of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961) in exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Karera block of Shivpuri district is initially notified for the formation of Dinara Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein, may, within 07 days from the date of publication of this notification, give its written objection / suggestion to the District Collector, Shivpuri. After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the State Government:—

Revenue villages to be included in the formation of Municipal Council, Dinara

SCHEDULE

No.	District	Block	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat include for the formation of urban area	ed	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1			Dinara	Dinara	Dinara	801
2			Dabra Dinara	Dabra Dinara	Dabra Dinara	407
			Calarra	C .1	Badarkha	180
3			Saharya	Saharya	Gora	246
4			Chandavra	Chandavra	Chandavra	610
5	Shivpuri	Karera	Alagi	Alagi	Alagi	528
					Aavas	595
6			Aavas	Aavas	Sevadikalan	336
					Sevadeekhurd	245
7			Semara	Semara	Jaragavan Abbal	748
8			Daverdehi	Daverdehi	Daverdehi	205
					Ambari	413

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Collector.